कार्यालय उप संचालक कृषि मुंगेली, जिला– मुंगेली (छ.ग.)

क्र./तक–3/पौ.स./2021–22/ 2601 मुंगेली, दिनांक 29/ 9 /2021

प्रति,

मेसर्स मातुश्री कृषि केन्द्र
स्थान ....
वि.ख पथरिया जिला– मुंगेली (छ.ग.)

विषय :– कीटनाशक औषधियों के व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्ति (लायसेंस) प्रदाय करने बाबत्।

—0—

आपके आवेदन पत्र के आधार पर कीटनाशक औषधि की नई अनुज्ञप्ति क्र. 446/21-22 जारी की जा रही है। कीटनाशक औषाधियों के व्यवसाय करते समय निम्न नियम एवं शर्तो का अनिवार्य रूप से पालन व शर्ते :–

1. कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियम 1971 के समसत नियम/शर्तो का पालन करना अनिवार्य है।
2. अनुज्ञप्ति का प्रदर्शन विक्रय स्थल में सुलभ स्थान पर करना अनिवार्य है।
3. कीटनाशक औषधि स्कंध एवं विक्रय दर का प्रदर्शन प्रतिदिन करना अनिवार्य है।
4. संचालक कृषि छ.ग. रायपुर में प्रतिबंधित कीटनाशक औषधियों को छोड़कर ही क्रय–विक्रय की अनुमति दी जाती है।
5. प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर की स्थिति में प्रारूप 10 में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी (उप संचालक कृषि) एवं संबंधित कीटनाशक निरीक्षक/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत होगा।
6. प्रारूप –11 में अवसान हो गये कीटनाशियों का रजिस्ट्रर रखना अनिवार्य है।
7. प्रारूप– 12 में स्कंध पंजी (स्टाक रजिस्ट्रर) में कीटनाशकों की जानकारी संधारित की जावे।
8. मोनोक्रोटोफास 26% एस.एल. नामक कीटनाशक का उपयोग साग–सब्जियों में प्रतिबंधित है।

   (Streptomycin sulphate 9% + Tetracycline Hydrochloride 1% ww Tricyclazole एवं Bypnofenin के प्रदर्शन एवं विक्रय की अनुमति नही है।
9. कीटनाशक औषधियों के भण्डारण विक्रय की रिपोर्ट नियमित रूप से अनुज्ञप्ति प्राधिकारी एवं व.कृ.वि.अधि. को प्रति सप्ताह शुक्रवार एवं प्रतिमाह एक तारीख तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
10. दिनांक 31/12/2021 के पश्चात अनुज्ञप्ति के वैद्यता हेतु नवीन वैद्यता के स्त्रोत प्रमाण पत्र एक माह के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उपरोक्त नियम/शर्तो का पालन नही किए जाने पर आपको प्रदत्त अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित/निरस्त कर दी जावेगी।

संलग्न :– लायसेंस की मूलप्रति।

पंजीयन प्राधिकारी (कीटनाशी)
उप संचालक कृषि
जिला– मुंगेली (छ.ग.)

प क्र./तक–3/पौ.स./2021–22/ 2602 मुंगेली, दिनांक 29/ 9 /2021

प्रतिलिपि :–

कीटनाशक निरीक्षक/व.कृ.वि.अधि. वि.ख. पथरिया .... की ओर सूचनार्थ।

पंजीयन प्राधिकारी (कीटनाशी)
उप संचालक कृषि
जिला– मुंगेली (छ.ग.)

कार्यालय उप संचालक कृषि मुंगेली, जिला– मुंगेली (छ.ग.)

क्र./तक–3/बीज/2021–22/ 2597 मुंगेली, दिनांक 29/9/2021

प्रति,

मेसर्स मातुश्री कृषि केन्द्र

स्थान लोरमी रोड ....

वि.ख. पथरिया जिला– मुंगेली (छ.ग.)

विषय :– बीज व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्ति (लायसेंस) प्रदाय करने बाबत्।

—0—

आपके आवेदन पत्र के आधार पर बीज विक्रय हेतु नया प्राधिकार/नवीनीकरण प्राधिकार पत्र क्र. 134/21-22 दिया जा रहा है। यह नया पंजीयन/नवीनीकरण पंजीयन दिनांक 27/09/2021 से 26/09/2026 तक वैध रहेगा।

नियम एवं शर्तें :–

1. अनुज्ञप्ति का प्रदर्शन विक्रय स्थल में सुलभ स्थान पर करना अनिवार्य है।
2. बीजा स्कंध एवं विक्रय दर का प्रदर्शन प्रतिदिन करना अनिवार्य है।
3. संलग्न स्त्रोत प्रमाण के अनुसार ही क्रय– विक्रय की अनुमति दी जाती है।
4. बीज के भण्डारण विक्रय की रिपोर्ट नियमित रूप से अनुज्ञप्ति प्राधिकारी एवं व.कृ.वि. अधि. को प्रति सप्ताह शुक्रवार एवं प्रतिमाह एक तारीख तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
5. दिनांक 26/09/2026 के पश्चात अनुज्ञप्ति के वैद्यता हेतु नवीन वैद्यता के स्त्रोत प्रमाण पत्र एक माह के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उपरोक्त नियम/शर्तों का पालन नही किए जाने पर आपको प्रदत्त अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित/निरस्त कर दी जावेगी।

संलग्न :– लायसेंस की मूलप्रति।

पंजीयन प्राधिकारी (बीज)
उप संचालक कृषि
जिला– मुंगेली (छ.ग.)
उप संचालक कृषि मुंगेली (छ.ग.)

प क्र./तक–3/बीज/2021–22/ 2598 मुंगेली, दिनांक 29/9/2021

प्रतिलिपि :–

बीज निरीक्षक/व.कृ.वि.अधि. वि.ख. पथरिया .... की ओर सूचनार्थ।

पंजीयन प्राधिकारी (बीज)
उप संचालक कृषि
जिला– मुंगेली (छ.ग.)
उप संचालक कृषि मुंगेली (छ.ग.)